तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/7716/2006/उदयपुर मंदिर मूर्ति श्री एकलिंग जी महाराज बनाम कन्ना व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.04.24	**एकलपीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **—आदेश—** पत्रावली पेश हुई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी वीरेन्द्र सिंह राठौड़ एवं अभिभाषक अप्रार्थी श्री रोहित सोनी उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये नेक्स्ट फ्रैण्ड उपासक प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है नाही अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष बतौर पक्षकार स्थापित रहा है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में मूल रूप से विवाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के मध्य ही रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बतौर अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 बतौर प्रत्यार्थीगण पक्षकार रहे है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में सही स्थिति तभी प्रस्तुत हो सकती है जब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बतौर अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए अपना पक्ष रखे। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बतौर अपीलार्थी प्रतिस्थापित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी प्रस्तुत अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रतिस्थापित है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों को लेकर वह बतौर रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रख सकता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस कारण के प्रार्थी को प्रस्तुत अपील में बतौर अपीलांट् प्रतिस्थापित किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को देरी करने के उद्वेश्य मात्र से प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रकरण की वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। प्रकरण में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण अपील के गुणावगुण पर बहस के उपरान्त होना है। ऐसीस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत निगरानी में बतौर अपीलार्थी पक्षकार स्थापित किये जाने की मांग की गई है। इस संबंध में हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मूल विवाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के मध्य रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/7716/2006/उदयपुर मंदिर मूर्ति श्री एकलिंग जी महाराज बनाम कन्ना व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त अपील में बतौर अपीलांट स्थापित करने की मांग की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रारम्भ से ही वादग्रस्त भूमि के बाबत लम्बित विवाद में बतौर पक्षकार स्थापित रहे है। ऐसी स्थिति में यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बतौर अपीलांट प्रतिस्थापित किया जाता है तब भी प्रकरण की मूल भावना पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है, वरन् न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के संबंध में सही स्थिति सामने आने में सहायक ही सिद्व होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रस्तुत अपील में बतौर अपीलांट स्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस आशय का अंकन अपील मीमों में लाल स्याही से किया जावे। पत्रावली दिनांक 03–05–2024 को किसी भी एकल–पीठ के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश हो। **(कमला अलारिया)** **सदस्य**	